न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र संख्या 12/2013

प्रार्थी

1. श्री गोपाराम पुत्र श्री पूनाजी जाति मेघवाल निवारी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री चुन्नाराम पुत्र श्री रगाजी जाति मेघवाल निवारी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्री चेलाराम पुत्र श्री पूनाजी जाति मेघवाल निवारी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
4. श्री बाबूलाल पुत्र श्री पूनाजी जाति मेघवाल निवारी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
5. श्रीमती रतीबाई पत्नि श्री माठाजी जाति मेघवाल निवारी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
6. श्री भगाराम पुत्र श्री ओटाजी जाति मेघवाल निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
7. श्री मोहनलाल पुत्र श्री रगाजी जाति मेघवाल निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
8. श्री कानाराम पुत्र श्री पूनाजी जाति मेघवाल निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
9. श्री नैनाराम पुत्र श्री रगाजी जाति मेघवाल निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
10. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मगारामजी जाति मेघवाल निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच ग्राम पंचायत जेतपुरा जिला सिरोही।
2. तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री अश्विन मरड़िया , राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 05.08.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान [illegible] राज. अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कर मौजा वेरारामपुरा पटवार हल्का जेतपुरा, तह. शिवगंज के खसरा संख्या 18, 20, [illegible] 26 के नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 25.05.1969 एवं [illegible] दिनांक 02.02.1985 को निरस्त [illegible] हेतु माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफ[illegible] करने हेतु प्रस्तुत किया [illegible] का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व में इस न्यायालय

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

द्वारा अप्रार्थी को कई अवसर दिए जा चुके है। अतः उनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा वेरारामपुरा पटवार हल्का वेराजेतपुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही में कृषि भूमि खसरा संख्या 18, 20, 21, 27, 19, 22, 24, 23, 25, एवं 26 के खातेदार श्री किशन पुत्र श्री जसा कुल भाग का 2/3 हिस्सा एवं श्री पूना वल्द जसा कुल भाग का 1/3 हिस्से के खातेदार है। यह है कि प्रार्थीगण सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जो स्व. श्री किशना पुत्र जसा एवं श्री पूना वल्द जसा के उत्तराधिकारी कानूनन वारिसान हैं। यह है कि गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कूटरचित, जाली दस्तावेज अर्पणनामा के जरिए दबाव डालकर छलकपट करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 25.05.1969 के जरिए गलत नामान्तरकरण स्वीकार कर हस्तान्तरित कर दी। उक्त नामान्तरकरण में धारा 42ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने से कानूनन शून्य है। इसके उपरान्त भी खसरा नम्बर 18, 20, 21, 27, 19, 22, 24, 23, 25, एवं 26 की भूमि को गांव वालों के नाम हस्तान्तरित कर दी। इसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 02.02.1985 ग्राम पंचायत के नाम से गैर कानूनी तरीके से भरकर स्वीकृत किया गया है। यह है कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 18/90, 11/90, 12/90, 13/90, 14/90, 15/90, 16/90, 19/90 एवं 53/90 पंचायत प्रसार अधिकारी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.12.1990 में उक्त अर्पणनामा को शून्य मानकर मूल खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिए गए। यह है कि जिला कलक्टर सिरोही के पत्र दिनांक 08.09.1999 केम्प शिवगंज द्वारा उक्त इन्द्राज कानूनन शून्य माने गए एवं रेकर्ड दुरूस्ती का आदेश दिया गया परन्तु आज दिन तक उसकी पालना नहीं की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स करने के आदेश पारित करावें। इसके सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत W.L.C. (SC) Civil 2012(2) Page No. 670 R.R.T. 2008(2) Page No. 850 cjAh R.R.T. 2011(2) Page No. 1083 पेश किए।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार शिवगंज द्वारा रजिस्ट्री के आधार पर ही नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो सही है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

हमने दोनो पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो रिकॉर्ड अनुसार मौजा वेरारामपुरा पटवार हल्का वेराजेतपुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही में कृषि भूमि खसरा संख्या 18, 20, 21, 27, 19, 22, 24, 23, 25, एवं 26 के खातेदार श्री किशना पुत्र श्री जसा कुल भू–भाग का 2/3 हिस्सा एवं श्री पूना वल्द जसा कुल भू–भाग का 1/3 हिस्से के खातेदार है। यह है कि प्रार्थीगण सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं स्व. श्री किशना पुत्र जसा एवं श्री पूना वल्द जसा के उत्तराधिकारी कानूनन वारिसान हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सम्वत 2026 तक विवादित भूमि का 2/3 हि[illegible] वल्द श्री जसा एवं 1/3 हिस्सा श्री पूना वल्द श्री जसा के नाम खातेद[illegible] एवं सम्वत 2026 से 2030 तक उक्त भूमि को व्यवस्थापक श्री [illegible] जाति भांबी, श्री लकिया वल्द श्री भीमा जाति रबारी, श्री लच्छा [illegible] टीका जाति कुम्हार, श्री जेसिंग वल्द वागसिंह जाति राजपूत [illegible] जाति कुम्हार के नाम संयुक्त रूप से इन्द्राज कर नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 2[illegible]1969 को स्वीकार किया गया, जो अन्तर्गत धारा 42ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होना पाया जाता है। इसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 02.02.1985 ग्राम पंचायत के नाम से स्वीकृत किया गया है। यह है कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निगरानी संख्या 18/90, 11/90, 12/90, 13/90, 14/90, 15/90, 16/90, 19/90 एवं 53/90 पंचायत प्रसार अधिकारी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.12.1990 में उक्त अर्पणनामा को शून्य मानकर मूल खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही के पत्र दिनांक 08.09.1999 केम्प शिवगंज में भी यह माना है कि जमाबन्दी संवत 2022 से 2026 उक्त खाता संख्या पर श्री किशना पुत्र श्री जसा कुल भू–भाग का 2/3 हिस्सा एवं श्री पूना वल्द जसा कुल भू–भाग का 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी एवं उक्त खातेदारों की मृत्यु के बाद नियमानुसार उनके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था जो पटवारी हल्का ने नहीं किया और इन्द्राज खतौनी मृतकों के नाम चलती रही। इसके पश्चात सम्वत 2026 से 2030 की जमाबन्दी भरने में पटवारी हल्का ने बिना किसी म्युटेशन के बावजूद श्री किशना एवं श्री पूना की खातेदारी को बदल दिया जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था एवं टिप्पणी के कॉलम में कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया। यह है कि पटवारी हल्का ने खातेदारी बदल कर अनुसूचित जाति एवं सवर्ण लोगों के नाम संयुक्त रूप से कर दी, जिन्होनें उक्त भूमि में से 15 बीघा ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा को बेच दी व शेष भूमि उनके कब्जे में है। यह है कि प्रार्थी की भूमि अनुसूचित जाति की होने से रेबारी, राजपूत या कुम्हार जाति के लोगों के स्थानान्तरित नहीं हो सकती। यह अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लघंन है। यह है कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही केम्प शिवगंज द्वारा यह आदेश दिया गया कि सम्वत 2026 में जमाबन्दी में किए गए गलत इन्द्राज को पूर्ववत सम्वत 2022 से 2026 के इन्द्राज के अनुसार पुनः दुरस्त किया जाए। इसके अलावा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 18/90, 11/90, 12/90, 13/90, 14/90, 15/90, 16/90, 19/90 एवं 53/90 पंचायत प्रसार अधिकारी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.12.1990 में उक्त अर्पणनामा को शून्य मानकर मूल खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिए गए परन्तु उक्त दोनों आदेशों की आज दिनांक पालना नहीं की गई है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत W.L.C. (SC) Civil 2012(2) Page No. 670 R.R.T. 2008(2) Page No. 850 cjAh R.R.T. 2011(2) Page No. 1083 का अवलोकन से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर मौजा वेरारामपुरा पटवार हल्का वेराजेतपुरा, तह. शिवगंज के नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 25.05.1969 एवं नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 02.02.1985 को निरस्त करने एवं मौजा वेरारामपुरा पटवार हल्का वेराजेतपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खतौनी जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत 2022 से 2026 के खसरा संख्या 18, 20, 21, 27, 19, 22, 24, 23, 25, एवं 26 कुल रकबा 58 बीघा 03 बिस्वा भूमि मूल खातेदारों के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को रेफर किये जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पक्षकारान दिनांक 27.09.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली मय निर्णय की अतिरिक्त प्रति के सुनवाई तिथि से पूर्व प्रेषित की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner